बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/एल–168/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा0 ऑचल, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर के प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक–01.01.2026 से 29.06.2026 तक कुल–180 (एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल–168/2026– 2580(2) पटना, दिनांक 29/10/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, समस्तीपुर /कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० डा0 ऑचल, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।